

शास.इं.वि.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

रैगिंग क्या है ?

01. मानसिक / शारीरिक / यौन शोषण
02. मौखिक गाली ।
03. अभद्र व्यवहार ।
04. अपराधिक धमकी / गलत दबाव डालना ।
05. मानवीय प्रतिष्ठा को कमजोर बनाना ।
06. आर्थिक शोषण / जबरन वसूली ।
07. बल का प्रयोग ।

यदि छात्र रैगिंग में सम्मिलित होता है तो -

01. उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकता है ।
02. छात्रावास से प्रतिबंधित किया जा सकता है ।
03. उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जा सकती है ।
04. उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है ।
05. उसे किसी भी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है ।
06. उस पर अपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है ।
07. पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है ।
08. उसे एक वर्ष की सजा या 5000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जा सकता है ।

रैगिंग को ना कहिए -

रैगिंग एक दंडनीय अपराध है इसमें सम्मिलित न होवे।
रैगिंग में मूकदर्शक न बनें। ऐसी घटनाओं की सूचना
तत्काल कालेज प्रशासन को देवें।

प्राचार्य
शास.इं.वि.स्नात.महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.)
मो. 9425547200

संयोजक
एन्टी रैगिंग समिति
शास.इं.वि.स्नात.महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.) मो. 9828839141

सहा.संयोजक
एन्टी रैगिंग समिति
शास.इं.वि.स्नात.महाविद्यालय
कोरबा (छ.ग.) मो. 9424144403

वोटर लिस्ट में नाम लिखाएं । वोटर कार्ड सभी बनवाएं ।
लोकतंत्र का भाग्य विधाता । होता जागरुक मतदाता ॥

PRINCIPAL

